माननीय संस्कृति मंत्रीजी की समीक्षा बैठक दिनांक 16.6.2014 का कार्यवाही विवरण

माननीय संस्कृति मंत्रीजी श्री अजय चंद्राकर द्वारा विभागीय सचिव सह आयुक्त श्री आर.सी. सिन्हा की उपस्थिति में दिनांक 16.6.2014 को नवीन विश्राम गृह में आहूत विभागीय समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थिति रहे :-

1. श्री राम तिवारी, संस्कृति सलाहकार
2. श्री आर.के.अग्रवाल, संयुक्त संचालक
3. श्री राहुल कुमार सिंह, उपसंचालक, समन्वय
4. श्री जे.आर.भगत, उपसंचालक, मुख्यालय
5. श्री एस.एस.सी. केरकेट्टा, उप संचालक, राजभाषा
6. श्री सी.आर.साहनी, उपसंचालक, वित्त
7. श्री टी.आर.रामटेके, उपसंचालक अनुरक्षण (कार्यपालन अभियंता)
8. डॉ. एस.के.बाजपेयी, पुरातत्वीय अधिकारी
9. डॉ. के.पी.वर्मा, मुख्य रसायनज्ञ/डी.डी.ओ.

उक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1. लेखकों/कलाकारों के कल्याण से संबंधित अनुदान योजना का नाम परिवर्तन किया जावे। आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन प्रस्तावित करें। योजना का प्रचार-प्रसार किया जावे, उपलब्धियों को प्रेस नोट अनुमोदनार्थ रखे।

(कार्यवाही- उप संचालक, राजभाषा एवं उप संचालक वित्त/ अवधि - 2 माह)

2. **अशासकीय सदस्यों को आर्थिक अनुदान** - अशासकीय संस्थाओं/व्यक्तियों को मिलने वाले आर्थिक अनुदान योजना का नाम रखना हैं, सभी योजनाओं को एक हेड में रखना है तथा उद्देश्य क्रियान्वयन के संबंध में प्रक्रिया आदि निर्धारित करना है।

(कार्यवाही- उप संचालक, राजभाषा एवं उप संचालक वित्त/ अवधि - 1 माह)

3. **छत्तीसगढ़ बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान** - केन्द्र शासन के लिए ज्ञापन तैयार किया जावे, जिसमें पूर्व प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी की बजाय संपूर्ण राशि की मांग की जावे (लगभग 50 करोड़)। साथ ही साथ राज्य शासन से भी संस्थान की महत्ता प्रतिपादित करते हुए राशि की मांग की जावे।

(कार्यवाही- संयुक्त संचालक एवं उप संचालक वित्त/ अवधि - 1 माह)

4. **पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ, भिलाई** - पं. लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे कवियों पर कवि दिवस, हिन्दी दिवस तथा कविता शिविर जैसे कार्यक्रमों छत्तीसगढ़ के अलग-अलग स्थानों में आयोजित करवाया जावे। साहित्यकारों से संपर्क कर महान विभूतियों के संबंध में प्रकाशन, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक घटना पर पुस्तिका जैसे गांधी जी छत्तीसगढ़ में 1920 एवं 1931 में आये थे, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर पेंड्रा में रहे, कालीदास का छत्तीसगढ़ में प्रवास/लेखन, संभवतः जयशंकर प्रसाद भी छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहे, राजा चक्रधर, छत्तीसगढ़ निर्माण की प्रक्रिया पर पुस्तिका तैयार कराई जावे।

(कार्यवाही- संयुक्त संचालक एवं उप संचालक, समन्वय/ अवधि - 1 माह)

5. **आकार** - ग्रीष्मकालीन शिविर आकार में अखिल भारतीय स्तर के शीर्ष कलाकारों को बुलाया जावे। आगामी वर्षों से केवल रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर और दुर्ग/भिलाई पांचों जगहों पर व्यय आंकलन निर्धारित करते हुए व्यवस्थित कर स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा आयोजन सुनिश्चित कराया जावे।

(कार्यवाही- उप संचालक, राजभाषा / अवधि - आगामी आयोजन वर्ष 2015 हेतु)

5. मुख्य रूप से चार-पांच लोकोत्सव जैसे भोरमदेव, चक्रधर, सिरपुर, बस्तर दशहरा एवं रामगढ़ पर सारी योजना केन्द्रित किये जाने हेतु बजट हेड, योजना, प्रक्रिया, नियम आदि का निर्माण कर प्रस्तावित की जावे ताकि 3-4 उत्सवों को भव्य रूप से किया जा सके एवं अन्य प्रचलित योजनाओं को कलेक्टर स्तर पर संचालित करने हेतु प्रस्तावित किया जावे।

(कार्यवाही- उप संचालक, राजभाषा एवं उप संचालक वित्त/ अवधि - 2 माह)

7. **राज्योत्सव** - सांस्कृतिक कार्यक्रम में उद्घाटन एवं समापन अवसर को भव्यता प्रदान की जावे। जैसे बस्तर बैंड के श्री अनूप रंजन पांडेय के साथ बैठकर लगभग एक हजार कलाकारों युक्त प्रदर्शन आदि योजना पर विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। 3-4 दिवसों पर छत्तीसगढ़ी नृत्य कर्मागीत, सुआगीत, बस्तर का बॉयसन हार्न नृत्य तथा एक मैदानी क्षेत्र में लोक नृत्य विधा को थीम बनाकर तथा इन्ही दिनों गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश राज्य से संपर्क कर उनके लोकनृत्य का प्रदर्शन किया जावे। राज्योत्सव में मात्र तीन सम्मान पं.सुन्दर लाल शर्मा, चक्रधर सम्मान एवं दाउ मंदराजी सम्मान चालू रखा जावे। दाउ मंदराजी सम्मान मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की लोक कला, शिल्प कला, फोक, नाचा गम्मत तथा छत्तीसगढ़ी फिल्मी क्षेत्र में उपलब्धियों/योगदान के लिये दिया जावे। चक्रधर सम्मान को राज्योत्सव में न देकर चक्रधर समारोह के आयोजन में दिया जावे। छत्तीसगढ़ के आंचलिक बोलियों व लेखन पर (गोडी, जशपुरी, हल्बी तथा अन्य बोली) नृत्य, गीत तथा चित्रकला के क्षेत्र में काम करने वाले उत्कृष्टता को पुरस्कृत किया जावे। माता कौशिल्या सम्मान को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिये जाने के लिए अधिकृत किया जाए। अप्रवासी भारतीय सम्मान सम्मान समाप्त कर इसके बदले प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विवेकानंद सम्मान का प्रावधान किया जावे जिसमें पुरस्कार की राशि रूपये 51 लाख, ताम्रपत्र, शाल एवं श्रीफल भेंट की जावे। पुरस्कार नियमावली तत्काल तैयार की जावे। पुरस्कार की राशि ताम्रपत्र आदि को एन.आई.डी. अहमदाबाद से डिजाईन करवा ली जावे।

(कार्यवाही- संयुक्त संचालक, उप संचालक, समन्वय तथा उप संचालक, राजभाषा / अवधि - 2 माह)

8. **अनुवाद एवं प्रकाशन**- श्रीमद्भागवत, श्रीरामचरित मानस एवं गीता का गोंडी, हल्बी एवं छत्तीसगढ़ी में भावार्थ सहित अनुवाद एवं प्रकाशन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जावे। आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग से करवा लिया जावे।

(कार्यवाही- उप संचालक, राजभाषा / अवधि - 2 माह)

9. **दस्तावेजीकरण/छायांकन** - छत्तीसगढ़ की विलुप्त एवं विद्यमान विधाओं जैसे नाचा, रहस, बांस गीत, आल्हा एवं ददरिया आदि का उनके काल खंड/तिथि के आधार पर (उदा. आल्हा गीत सावन में गाए जाते है।) दस्तावेजीकरण, छायांकन एवं प्रसिद्ध कलाकारों के संस्मरण/उपलब्धि के साथ उत्कृष्ट स्तर की पुस्तिका का प्रकाशन किया जावे। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की लोक कला विभाग एवं अन्य विशेषज्ञों, शोध छात्रों को भी सम्मिलित किया जावे।

(कार्यवाही- उप संचालक, समन्वय / अवधि - 3 माह)

10. छत्तीसगढ़ के गहने एवं वेशभूषा के संकलन, दस्तावेजीकरण, चित्रण आदि कार्य हेतु निफ्ट से संपर्क कर कार्यवाही सुनिश्चित करना है।

(कार्यवाही- छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल / अवधि - 2 माह)

11. **छत्तीसगढ़ी व्यंजन/रेसिपी**- छत्तीसगढी व्यंजन एवं बस्तरिया अम्बिकापुर व्यंजनों के संबंध में श्री रसिक बिहारी अवधिया के आवेदन पर कार्यवाही 15 दिनों की अवधि में कर लिया जावे। छत्तीसगढ़ी व्यंजन तथा बस्तरिया, अम्बिकापुर व्यंजन जैसे लांदा, पेज आदि शाकाहारी व्यंजनों के रेसेपी पर उत्कृष्ट स्तर की हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में पुस्तिका का प्रकाशन किया जावे। नवम्बर 2014 को छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का राज्योत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की बिक्री एवं प्रदर्शन का स्टाल तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की रेसिपी की पुस्तिका का विमोचन भी करना है।

(कार्यवाही- उप संचालक, समन्वय / अवधि - 3 माह)

12. **जिला गजेटियर**- नए गजेटियर अध्यक्ष मनोनयन हेतु किसी एकेडमिक व्यक्ति का मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ स्तर पर चयन किया जावे।

(कार्यवाही- सचिव/आयुक्त, संस्कृति / अवधि - 2 माह)

13. **छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग** - छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के उद्देश्य, वेतन भत्ते आदि ,जानकारी ली जाएगी। छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने हेतु मापदंड के आधार पर कार्यवाही, व्याकरण में सुधार तथा इस हेतु विशेषज्ञ/भाषा विज्ञानी की नियुक्ति किए जाने हेतु रूप रेखा तैयार की जावे।

(कार्यवाही- सचिव, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग / अवधि - 1माह)

14. **राजिम कुंभ** - निर्धारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा परमपूज्य संत श्री मोरारी बापू जी/श्री रमेश भाई ओझा जी जैसे संतों का कथा वाचन तथा रामलीला पर आधारित अत्याधुनिक लाईट एंड साउंड का जीवंत कार्यक्रम का आयोजन किया जावे।

(कार्यवाही- उप संचालक, अभिलेखागार तथा उप संचालक, राजभाषा / आयोजन वर्ष 2015 के अवसर पर)

15. **आयोजन एवं उत्सव** - आयोजन एवं उत्सव हेतु एक कैलेण्डर तैयार किया जावे। इसमें तुलसी जयंती एवं गीता जयंती नामक कार्यक्रम सम्मिलित किए जाने हेतु टीप सहित रूपरेखा तैयार की जावे। सफर मुक्ताकाश माह में दो बार आयोजित साथ ही लोकनृत्य के कार्यक्रमों को जोड़ा जाए तथा प्रावस प्रसंग में शास्त्रीय संगीत आयोजित किए जाने हेतु रूपरेखा तैयार की जावे। इसके अलावा शहीद गुंडाधुर, वीर नारायण सिंह, श्री सुन्दरलाल शर्मा एवं गुरू घासीदास (जयंती 18 दिसम्बर, पुण्यतिथि 21 दिसम्बर) आदि महापुरूषों के आधार पर भी आयोजन हेतु रूपरेखा तैयार की जावे।

(कार्यवाही- उप संचालक, राजभाषा / आयोजनों के अवसर पर)

16. **विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थान-** स्वामी सत्यरूपानंद, प्रसिद्ध समाजसेवी श्री कनक तिवारी एवं डॉ. ओम प्रकाश वर्मा से सम्पर्क कर संस्थान की गतिविधियों, उत्तदायित्व, ग्रंथालय, गोष्ठी-साहित्य, युवा कल्याण गतिविधियां, अशासकीय संस्थाओं का समावेश, इनका पंजीयन एवं उद्देश्य आदि को निर्धारित किया जावे।

(कार्यवाही- संयुक्त संचालक/श्री अशोक तिवारी अवधि - 1 माह)

17. छत्तीसगढ़ के इतिहास में विविध काल खंडों में महान विभूति जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद एवं साहित्यकार माखनलाल चर्तुवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, श्रीकांत वर्मा, चक्रधर के शिष्य कार्तिक राम इत्यादि का आना-जाना लगा हुआ था पर आधारित छत्तीसगढ़ सें संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन करवाया जावे। साथ ही उनकी शताब्दी दिवस आयोजन किया जावे, उनके घटनाचक्र का दस्तावेजीकरण कराया जावे।

(कार्यवाही- संयुक्त संचालक/श्री अशोक तिवारी अवधि - 3 माह)

18. **प्रकाशन** - बिहनिया का नाम परिवर्तन कर कला साहित्य संस्कृति प्रोत्साहन कराना है साथ ही उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रकाशन किया जावे। इनके प्रकाशन विशेषांकों में कर्मा, चक्रधर, अभिलेखागार का इतिहास आदि आधार पर प्रकाशन किया जावे तथा श्री राजेश गनौदवाले से प्रकाशन हेतु आवश्यक सहयोग लिया जाए।

(कार्यवाही- उप संचालक, समन्वय / अवधि - 2 माह)

19. **पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय** - पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालयों में आदिवासी मानव संग्रहालय- 10 एकड़, सेंट्रल लाईब्रेरी- 5 एकड़, अभिलेखागार- 10 एकड़ एवं आदिवासी संग्रहालय 10 एकड़ तथा शेष 165 एकड़ पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय के लिए सलाहकार समिति गठित कर पूर्व में तैयार डी.पी.आर. में संशोधन कर पुनः नवीन डी.पी.आर.तैयार किया जाए।

(कार्यवाही- उप संचालक, संविदा एवं प्रभारी मुक्तांगन / अवधि - 2 माह)

20. 1 नवम्बर से विश्व किताब मेला आयोजन कराने एवं केन्द्रीय ग्रंथालय की स्थापना। राष्ट्रीय स्तर के नोडल एजेंसी से सम्पर्क कर कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही- पुरातत्वीय अधिकारी / अवधि - 2 माह)

21 . **सिरपुर** - सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने के लिए इन्टेक से संपर्क तथा विधेयक उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही- पुरातत्वीय अधिकारी / अवधि - 1 माह)

22. **राज्य संरक्षित स्मारक** - 58 राज्य संरक्षित स्मारकों के रख रखाव, साफ-सफाई, चौकीदार की व्यवस्था इत्यादि पर डी.पी.आर बनाया जावे। तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए संबंधित जिले के एस.पी. तथा कलेक्टर को प्रतिलिपि भेजते हुए आवश्यक व्यवस्था हेतु सुनिश्चित किया जावे। साथ ही सी.एस.एफ. जैसी संस्था से संपर्क किया जावे। उदा. सिरपुर जैसे बड़े स्मारक बी.एस.पी. संस्थान रख रखाव सहायता ली जाए। समस्त राज्य संरक्षित स्मारक का एक परिचयात्मक पुस्तिका/ बोशर/ फोटोग्राफयुक्त समस्त अपडेट पृथक-पृथक पाण्डुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कराया जावे। श्री बाजपेयी जी सी.एस.आर. फंड (केन्द्र शासन में लागू नेशनल सेंट्रल रूल की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही- पुरातत्वीय अधिकारी / अवधि - 2 माह)

23. **उत्खनन** - वर्तमान में चार स्थान राजिम, तरीघाट, डमरू तथा सिरपुर पर उत्खनन किए जा रहे हैं। उंत्खनन स्थल पर खुदाई से प्राप्त सामग्री, सुरक्षा व्यवस्था, संरक्षण, खुदाई में लगे मजदूरों की संख्या, खुदाई की विधि, खुदाई प्रतिवेदन आदि समस्त जानकारी प्राप्त की जावे। आगामी उत्खनन वर्ष के लिए सिरपुर स्थल को प्राथमिकता के आधार पर द्वितीय में पलारी तथा तृतीय लाईसेंस सिरकट्टी का प्रस्ताव बनाकर भेजा जावे।

(कार्यवाही- पुरातत्वीय अधिकारी / अवधि - 2 माह)

24. **13वें वित्त आयोग**- 13वें वित्त आयोग से कुल प्राप्त राशि के आधार पर समस्त व्यय विवरण जानकारी बनाकर भेजा जावे।

(कार्यवाही- उप संचालक वित्त एवं कार्यपालन अभियंता/ अवधि - 1 माह)

25. **जिला पुरातत्व संघ**- जिला पुरातत्व संघ को कलेक्टर से पृथक करते हुए विभाग के अधीन कर उसका नाम छत्तीसगढ़ पुरातत्व संघ किया जावे। इन पर ऑन लाईन मानिटरिंग की जावे एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा सुरक्षा आदि के लिए सुरक्षा प्रदर्शन आदि के लिए नेशनल म्यूजियम के साथ डिजिटलाईजेशन, स्टीकर लगाना, डिजाईनिंग, लेण्ड स्केपिंग इम्पेनल विशेषज्ञों से संपर्क कर रूपरेखा बनाई जावे। इन्टेक की भागीदारी रखी जाए। संगोष्ठी का आयोजन किया जावे।

(कार्यवाही- पुरातत्वीय अधिकारी / अवधि - 2 माह)

26. **संग्रहालय**- सेंट्रल लाईबेरी/संग्रहालय निर्माण के लिए कंसलटेन्ट नियुक्ति किया जावे।

(कार्यवाही- उप संचालक, मुख्यालय एवं पुरातत्वीय अधिकारी/ अवधि - 1 माह)

27. **ग्रंथालय**- मानव संसाधन/संस्कृति मंत्रालय के वेबसाईट से जानकारी प्राप्त कर इस संबंध में उत्कृष्ट स्तर का संचालन, संधारण, प्रदर्शन/एजेंसी आदि हेतु एक रिपोर्ट तैयार की जावे। तथा डिजिटलाईजेशन तकनीकि का उपयोग किया जावे जिससे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विजिट करा जा सके।

(कार्यवाही- उप संचालक, मुख्यालय एवं पुरातत्वीय अधिकारी/ अवधि - 2 माह)

28. **अभिलेखागार**- वर्तमान में अभिलेखागार के लिए नवीन भवन चिन्हाकित कर आवश्यक कार्यवाही किया जावे जिससे भवन का उद्घाटन कराया जा सके। इसके साथ ही अभिलेखागार भवन निर्माण के लिए कसंलटेंट नियुक्ति किया जाकर पुरखौती मुक्तांगन में 10 एकड़ भूमि का चिन्हांकन की कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही- उप संचालक, अभिलेखागार / अवधि - 2 माह)

29. **कोसल**- कोसल का नाम बदलकर महाकांतार रखा जावे, साथ ही प्रकाशन की तारीख भी निर्धारित कर दी जावे।

(कार्यवाही- उप संचालक, समन्वय एवं प्रकाशन अधिकारी/ अवधि -1 माह)

30. **माडलिंग** - यह कार्य उच्च गुणवत्ता का किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इसके अलावा चार स्थलों यथा बिलासपुर-रायपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर-कांकेर, भिलाई-दुर्ग-राजनांदगांव कार्यशाला करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जावे।

(कार्यवाही- उप संचालक, मुख्यालय / अवधि - 2 माह)

31. **रासायनिक संरक्षण** - तीन साल में किए गए रासायनिक संरक्षण किए गए कार्य का पूर्ण विवरण, विशेषज्ञों की जानकारी, भविष्य की कार्य योजना/आवश्यकता एवं संबंधित बजट की जानकारी तैयार किया जावे।

(कार्यवाही- मुख्य रसानज्ञ/डीडीओ/ अवधि - 1 माह)

संयुक्त संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व
रायपुर, छत्तीसगढ़